न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –165/2013 जिला अलवर

प्रेम देवी पुत्री मंगल पत्नि मुरारी लाल, जाति माली, निवासी ग्रम बानसूर , तहसील बानसूर, जिला अलवर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. रोहिताश कथित दत्तक पुत्र मु. गोरखी बेवा मंगल जाति माली, निवासी ग्रम बानसर तहसील बानसूर, जिला अलवर ।

असल रेस्पोंडेन्ट

2. ग्रम पंचायत बानसूर, जिला अलवर जरिये सरपंच ।

तरतीबी रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर दिनाक 16.6.2004

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अनिल कुमार गुप्ता
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री ब्रह्मप्रकाश यादव

निर्णय

दिनांक– 4.1.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 16.6.2004 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम बानसूर, तहसील बानसूर, जिला अलवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1524 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 1735 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा, 1755 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा में 1/4 हिस्सा एवं इसी ग्रम स्थिति आराजी खसरा नम्बर 1746 रकबा 5 बिस्वा, 1749 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा में 1/2 हिस्से का खातेदार मंगला पुत्र खेमला माली था जिसके फौत होने पर विरासत के नामांतरकरण संख्या क्रमशः 479 पटवारी हल्का द्वारा मु. गोरखी व बुद्धी बेवा मंगल के नाम भरा गया जिसे तहसीलदार बानसूर द्वारा दिनांक 4.6.1981 मु. गोरखी व बुद्धी बेवा मंगल के नाम सम भाग का स्वीकार किया गया एवं नामांतरकरण संख्या 575 पटवारी हल्का द्वारा गोरखी , बुद्धी बेवा मंगल के नाम भरा गया जिसे ग्रम पंचायत बानसूर द्वारा दिनांक 2.10.1984 गोरखी हिस्सा 1/3, बुद्धी हिस्सा 1/3 व बनवारी पुत्र मंगल हिस्सा 1/3 का सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त आराजी की खातेदार गोरखी बेवा मंगला के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 1312 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.6.2000 को रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर रेस्पोंडेन्ट रोहिताश दत्तक पुत्र गोरखी के नाम भरा गया जिसे तहसीलदार बानसूर द्वारा इसी दिनांक 22.6.2000 को ही स्वीकार किया गया जिसके खिलाफ मूल खातेदार मंगल की पुत्री अपीलान्ट प्रेम देवी ने अपील न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) अलवर के समक्ष प्रस्तुत की जो अति. कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय दिनांक 6.10.2000 द्वारा स्वीकार की जाकर इन्तकाल दिनांक 22.6.2000 निरस्त

किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई व जॉच करके निस्तारण हेतु ग्रम पंचायत बानसूर को रिमाण्ड किया गया ।

अति. कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय दिनांक 6.10.2000 की अनुपालना में मृतक खातेदार गोरखी बेवा मंगल की विरासत का नामांतरकरण संख्या 1312 की पुश्त पर यह अंकित करते हुये कि दिनांक 21.10.2000 को गोरखी बेवा मंगला के स्थान पर प्रेम देवी पुत्री मंगलराम सैनी (पत्नि मुरारी लाल सैनी) के नाम सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है –''ग्रम पंचायत बैठक दिनांक 21.10.2000 को इन्तकाल नं. 1312 दाखिल खारिज फौतगी गोरखी बेवा मंगल पंचायत कौरम के समक्ष पेश हुआ । इन्तकाल फैसला अति. कलक्टर(द्वितीय) अलवर के आदेश क्रमांकः 2000 / कोर्ट / 511 दिनांक 16.10.2000 जरिये रजिस्टर्ड डाक पत्रावली प्राप्त हुई । इस फैसले के द्वारा इन्तकाल नं. 1312 को खारिज माना गया है । अब ग्रम पंचायत ने उपरोक्त पत्रावली के निर्णयानुसार जलसेआम में वारिसान की छानबीन की गई । छानबीन बाद कौरम इस निष्कर्ष पर पहुॅची कि रोहिताश पुत्र आसारान सैनी को गोरखी बेवा मंगलराम ने वास्ते गोदनामा नहीं लिया है ना ही गोदनामें की कोई रस्म अदा की गई है जिससे की जनता को मालूम पडता तथा पंचायत के इस प्रश्न का भी मालूम हुआ है कि जब मंगलराम फौत हुआ था उस समय लडकियॅा मौजद थी लेकिन दोनों स्त्रीयों के नाम इन्तकाल दर्ज किया गया, वह गलत था जबकि सबका समान हिस्सा इन्तकाल में होना चाहिये था । रोहिताश ने इस इन्तकाल के संबंध मे कोई साक्ष्य पंचायत कौरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं । अतः अब उपरोक्त इन्तकाल का फैसला शीघ्र किया जाना उचित होगा ताकि पंचायत बिना किसी दबाव प्रभाव के सही निर्णय कर सके । पंचायत कौरम सभी तथ्यों को नजर रखते हुये सर्वसम्मति से निर्णय पारित करती है कि नामांतरकरण संख्या 1312 प्रेम देवी पुत्री स्व. श्री मंगलराम सैनी के नाम स्वीकार है ।'' नामांतरकरण पर सरपंच के अतिरिक्त ग्रम पंचायत कौरम के अन्य सदस्यों के भी हस्ताक्षर है ।

ग्रम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार गोरखी बेवा मंगल की विरासत के नामांतरकरण संख्या 1312 दिनांक 21.10.2000 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट रोहिताश दत्तक पुत्र गोरखी बेवा मंगल द्वारा अपील न्यायालय उप जिला कलक्टर बहरोड के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो बाद में दिनांक 12.6.2002 को उप खण्ड अधिकारी बानसूर को स्थानान्तरित होने पर उप खण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.6.2004 पारित कर रोहिताश की अपील स्वीकार की जाकर ग्रम पंचायत बानसूर का निर्णय दिनांक 21.10. 2000 अपास्त किया गया एवं नामांतरकरण संख्या 1312 ग्रम बानसूर रोहिताश के हक में स्वीकृत किया गया एवं तहसीलदार बानसूर को आदेश दिये गये कि वह संबंधित नामांतरकरण बाद प्राप्ती निर्णय का अमल दरामद करें ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी बानसूर के उक्त निर्णय दिनांक 16.6.2004 के खिलाफ मृतक खातेदार मंगल की पुत्री प्रेम देवी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बानसूर दिनांक 16.6.2004 निरस्त कर आज्ञा ग्रम पंचायत बानसूर दिनांक 21.10.2000 बहाल रखे जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस एवं लिखित बहस में मुख्य रूप से कथन / उल्लेखित किया है कि विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार मंगल पुत्र खेमला था जिसकी मृत्यु वर्ष 1980 में होने पर उसकी विरासत का इन्तकाल संख्या 575 व 479

गोरखी व बुद्धी बेवा मंगल के नाम बहिस्सा बराबर का खोला गया था तथा गोरखी बेवा मंगल की मृत्यु पर गोरखी की विरासत का इन्तकाल संख्या 1312 रेस्पोंडेन्ट रोहिताश के नाम दिनांक 22.6.2000 को तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया जिसके खिलाफ अपीलान्ट प्रेम देवी पुत्री मंगल ने न्यायालय अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के समक्ष अपील पेश की, जो स्वीकार की जाकर ग्रम पंचायत बानसूर को रिमाण्ड की गई । ग्रम पंचायत बानसूर ने अति. जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय की अनुपालना मे बाद जॅाच अपीलान्ट प्रेम देवी पुत्री मंगल के नाम दिनांक 21.10.2000 को नामांतरकरण स्वीकार किया गया । इस नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट रोहिताश ने उप खण्ड अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जिसमें उप खण्ड अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने अपील मंजूर की जाकर इन्तकाल संख्या 1312 रेस्पोंडेन्ट के नाम स्वीकृत करने के आदेश दिनांक 16.6.2004 पारित किये गये । अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपीलान्ट की गलत वल्दियत दर्ज कर गलत निवास दिखाया जाकर अपील पेश की गई थी जबकि अपीलान्ट मंगल की पुत्री है । अपीलान्ट को बगैर सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है । विवादित भूमि का मूल खातेदार मंगल था और गोरखी मंगल की ब्याहता पत्नी थी जिसके कोई औलाद नहीं थी जिसके कारण गोरखी ने अपनी बहन बुद्धी से मंगला का विवाह करवाया । बुद्धी के पूर्व पति से एक लडका पैदा हुआ था । बुद्धी एवं मंगल के नुत्फे से दो लडकियॅा लाली व प्रेम पैदा हुई । मंगल की जमा रकम एस.बी.बी.जे. शाखा बानसूर के बाबत जिला एवं सैशन न्यायाधीश अलवर ने अपीलान्ट प्रेम देवी व उसकी बहन लाली को मंगल की पुत्री बताते हुये उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिनांक 25.7.1985 को मंगल के वारिसान के हक में जारी किया गया है जिससे साबित है कि प्रेम व लाली मंगल की जायज वारिस है । अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत कुर्सीनामा हरिद्वार के पण्डो द्वारा जारी किया गया है जिसमें भी अपीलान्ट प्रेम देवी को मंगल की बेटी बताया गया है । उनका कहना था खातेदार मंगल की मृत्यु के बाद उसकी ब्याहता पत्नी गोरखी ने आशाराम से घरवासा कर लिया था । मंगल की विरासत के इन्तकाल संख्या 575 व 479 गोरखी व बुद्धी पत्नी मंगल के हक में स्वीकृत होने के बाद बुद्धी की सम्पत्ति हडपने की नियत से रेस्पोंडेन्ट रोहिताश के पिता आशाराम ने एक फर्जी व नुमाईशी गोदनामा दिनांक 16.8.1987 को बनवाया ओर गोदनामें के आधार पर रोहितश ने गोरखी को बहला फुसला कर एक झूंठा दावा उप खण्ड अधिकारी के समक्ष पेश कराया जिस दावे के विचाराधीन रहते गोरखी का निधन दिनांक 18.6.2000 को हो गया । गोरखी के निधन के उपरान्त रेस्पोंडेन्ट रोहिताश ने गोरखी का वारिस बताते हुये एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. पेश किया जिसे अपीलान्ट के इकतरफा में रहते हुये स्वीकार कर लिया । उप खण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा दिनांक 29.4.2002 को उक्त दावा स्वीकार कर डिक्री कर दिया गया एवं इन्तकाल संख्या 479 व 575 को बातिल बेअसर करार दिया गया । उनका कहना था कि दावे में उप खण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के खिलाफ अपीलान्ट की माता बुद्धी के द्वारा अपीलान्ट प्रेम देवी को तरतीबी प्रतिवादी बनाते हुय भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर के समक्ष अपील पेश की थी जो निर्णय दिनांक 27.12.2016 से जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिनांक 25.7.85 को सही मानते हुये स्वीकार की जाकर उप खण्ड अधिकारी बानसूर का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.4.2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें वांछित जॅाच कर उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायोचित निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया । भू प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 27.12.2916 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट रोहिताश द्वारा अपील न्यायालय राजस्व

चित्रां
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 22.11.2017 द्वारा खारिज की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 27.12.2016 को यथावत रखा है । इस प्रकार पक्षकारों के मध्य दावा उप खण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष विचाराधीन है । उनका कहना था कि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट के हक में तस्दीक नामांतरकरण संख्या 1312 दिनांक 21.10..2000 को अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर निरस्त किया कि रोहिताश अपीलार्थी के पक्ष में राजस्व वाद घोषणात्मक एवं हुक्मईम्तनाई जो कि दर्ज आराजी के संबंध में है का निर्णय अंतिम रूप से हो चुका है तो नामांतरकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं रहा । उनका कहना था कि दावे में उप खण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.4.2002 उनवानी रोहिताश बनाम बुद्धी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलान्ट प्रेम देवी के हक में ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 1312 दिनांक 21.10.2000 को निरस्त किया है , वह दावे में पारित निर्णय दिनांक 29.4.2002 राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 27.12.2016 द्वारा निरस्त हो चुका है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निष्प्रभावी होने से निरस्नीय है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट रोहिताश द्वारा जो गोदनामा बताया गया है वह फजी व नुमाईशी है । गोदनामें पर गोद लेने वाले व गोद देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है । रेस्पोंडेन्ट रोहिताश के पिता का नाम आशाराम है । मतदाता सूचियों व बी.पी.एल.कार्ड में रेस्पोंडेन्ट रोहिताश के पिता का नाम आशाराम अंकित है एवं आशाराम के फौत होने के बाद आशाराम की विरासत का नामांतरकरण भी रेस्पोंडेन्ट रोहिताश के नाम तस्दीक हो चुका है । इससे स्पष्ट है कि रेस्पोंडेन्ट रोहिताश आशाराम का पुत्र है जो कभी भी गोरखी के गोद नहीं गया । उनका कहना था कि मृतक खातेदार मंगल की सम्पत्ति उसकी पत्नी गोरखी को प्राप्त हुई है ओर अपीलान्ट प्रेम देवी मंगल की जायन्दा पुत्री है ओर हिन्दू विवाद अधिनियम की धारा 16 के तहत जायज वारिस है ओर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष में गोरखी पत्नी मंगल की सम्पत्ति प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एवं प्रकरण के महत्वपूर्ण व कानूनी तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये एकतर्फा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ व विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रश्नगत आदेश ग्राम पंचायत बानसूर दिनांक 21.10.2000 यथावत रखा जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि की खातेदार गोरखी बेवा मंगल द्वारा रेस्पोंडेन्ट रोहिताश को विधिक रूप से गोद लिया था तथा एक गोदनामा भी पंजीकृत कराया था । मृतक खातेदार गोरखी की विरासत का नामांतरकरण संख्या 1312 पटवारी हल्का द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामें के आधार पर रेस्पोंडेन्ट रोहिताश दत्तक पुत्र गोरखी के नाम भरा गया जिसे तहसीलदार बानसूर द्वारा दिनांक 22.6.2000 को स्वीकार किया गया था । उनका कहना था कि उप खण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा दावे में पारित निर्णय/डिक्री के खिलाफ अपीलान्ट की अपील में राजस्व अपील अधिकारी द्वारा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी को रिमाण्ड किया है । ऐसी स्थिति में दावा उप खण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष विचाराधीन है । उनका कहना था कि ग्राम पंचायत इतनी सुप्रीम नहीं हो सकती की वसियत, गोद सबको गलत मान ले। उनका कहना था कि गोदनामा रजिस्टर्ड है जो सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा अपीलाधीन

आदेश दिनांक 16.6.2004 से रेस्पोंडेन्ट की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत बानसूर का निर्णय दिनांक 21.10.2000 निरस्त किया जाकर नामांतरकरण 1312 रेस्पोंडेन्ट रोहिताश के नाम स्वीकृत किया गया था, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार गोरखी बेवा मंगल की विरासत के नामांतरकरण का है । रेस्पोंडेन्ट रोहिताश मृतक खातेदार गोरखी के गोदपत्र के आधार पर गोरखी की विरासत का नामांतरकरण अपने नाम चाहता है जबकि अपीलान्ट प्रेमदेवी पुत्री मंगल के नाम मृतक गोरखी पत्नी मंगल की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1312 दिनांक 21.10.2000 को पंचायत कौरम द्वारा तस्दीक किया है तथा इस नामांतरकरण के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट रोहिताश दत्तक पुत्र गोरखी पत्नी मंगल की अपील अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बानसूर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6.2004 द्वारा स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 21.10.2000 निरस्त कर नामांतरकरण संख्या 1312 रेस्पोंडेन्ट रोहिताश के नाम स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार बानसूर को नामांतरकरण बाद प्राप्ति निर्णय का अमल दरामद करने के आदेश दिये गये है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि ग्राम पंचायत कौरम द्वारा मृतक खातेदार गोरखी बेवा मंगल की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलार्थी प्रेम देवी पुत्री मंगल के नाम तस्दीक किया है जिसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट रोहिताश दत्तक पुत्र गोरखी द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बहरोड , जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 12.6.2002 को प्रकरण उप खण्ड अधिकारी बानसूर, जिला अलवर के क्षेत्राधिकार का होने से उप खण्ड अधिकारी बानसूर को प्रेषित किया गया तथा पक्षकारों को उप खण्ड अधिकारी बानसूर के न्यायालय में दिनांक 11.7.2002 को उपस्थित होने निर्देशित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की उक्त दिनांक 12.6.2002 की आदेशिका पर न तो पक्षकारों के ओर न ही अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट प्रेम देवी को जारी नोटिस भी अदम तामिल लोटे है एवं एक नोटिस प्रेमदेवी के खुले मकान पर चश्पा कर बाद तामिल प्राप्त है । अपीलार्थी प्रेम देवी को विधिवत नोटिस तामिल नही होने से वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ रही है , जिसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी प्रेम देवी को बिना सुने ग्राम पंचायत के प्रश्नगत आदेश दिनांक 21.10.2000 को अपास्त कर रेस्पोंडेन्ट रोहिताश दत्तक पुत्र गोरखी के नाम नामांतरकरण करने का एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.6.2004 पारित किया हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बानसूर दिनांक 16.6.2004 निरस्त किया जाकर प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी बानसूर दिनांक 16.6.2004 निरस्त किया जाता है तथा

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रकरण उन्हें उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर
जयपुर